समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नगर निगम करती आव्हानए मास्क पहनों श्रीमान

कोरोना काल के बीच वश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नगर निगम ने एक ही दिन में 1001 रांगोली का निर्माण कर लाखों लोगों को बताया मास्कए सैनेटाईज और दो गज की दूरी का महत्वए सैकड़ों लोगों को निःशुल्क मास्क का वतरण कया गया

रतलाम 07 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नागरिकों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा कर शहर के सभी वार्डो को जीरों वेस्ट बना चुके नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को वश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 1001 रांगोली का निर्माण कर लाखों लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके समझाए गए है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों को निःशुल्क मास्क का वतरण कर उन्हे सही ढंग से मास्क पहनने का तरीका भी समझाया गया है। रांगो लयों में नगर निगम करती आव्हानए मास्क पहनों श्रीमान जैसे दर्जनों संदेश दिए गए थे।

कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक श्री गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर बुधवार सुबह रांगोली का निर्माण शुरु कया गया जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान व भन्न वार्डो और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को कोरोना संक्रमण के दौरान इससे बचने के संदेश रांगो लयों के माध्यम से दिए गए। यहां आने जाने वाले लोगों को मास्क का वतरण कया गया और उन्हे सही ढंग से मॉँस्क पहनने के तरीके समझाए गए।

इनका रहा सहयोग

कोरोना काल में आमजन को वायरस से बचाने के तरीके समझाने के लए नगर निगम द्वारा रांगोली निर्माण के दौरान सफाई मत्र समूह के मार्गदर्शन में शहर की तमाम माता-बहनों और बच्चों रांगोली का निर्माण कर मॉँस्क का वतरण कया गया। इस महाअ भयान में महिला एवं बाल वकास वभाग की जिला कार्यक्रम अ धकारी श्री वनिता लोढ़ाए परियोजना अ धकारी चेतना गेहलोतए अर्चना माहोरएएक दर्जन से ज्यादा पर्यवेक्षणए

समूह संचालक श्रीमती सो फया कुरेशीए श्रीकृष्ण समूहए मोहित सोनी सहित अनेक लोगों ने भरपूर सहयोग दिया।

सतत जारी रहेगा जागरुकता अ भयान

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वश्व स्वास्थ्य दिवस पर रिकार्ड बनाने वाली इस गति व ध को लेकर कहां क जुर्मानाए अस्थायी जेलए फटकार आदि तरीकों के माध्यम से लोगों को कोरोना गाईड लाईन का पालन करने की समझाईश दी जा रही है। इसी बीच नगर निगम ने गांधी गरी का यह तरीका अपनाया है। रांगोली लोगों में सकारात्मक भाव जगाते है। हम चाहते है क लोग इस भीषण कोराना काल मेें अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसे निभाए और अपने साथ ही दूसरों की भी जान बचाए।

इन इलाकों में सजी रांगोली

अलकापुरीए जनता नगरए नयागांव राजगढ़ए अर्जुन नगरए दिलीप नगरए हनुमान तालए रत्नपुरीएशक्तिनगरए शुभम परिसरएसहकारी कॉलोनीएदीपक नगरएसूरजमल जैन नगरएअर्जुन नगरएमाहेश्वरी प्रोटीनएराजीव नगरएदिलीपनगरए स वक सेंटरए काशी वश्वनाथ मंदिरए अमृतसागर क्षेत्रए गढ़ कैलाशए भगतपूरीएजिला अस्पतपालए महिला एवं शशु रोग गहन च कत्सा ईकाईए बाल च कत्सालयए काटजूनगरए जवाहर नगरए दिनदयाल नगरएनगर निगम कार्यालय परिसरए सांईस एण्ड आटर्स कालेजएका लका माता मंदिर परिसरए झाली तालाबए अमृतसागर तालाब क्षेत्रएवार्ड नम्बर-22 ;भगतपुरी)एरत्नेश्वर रोड़एवार्ड नम्बर-25 ; मालीकुआं)गवली मोहल्लाए भाटो का वासएलोहार प ीएअजा बस्ती व आसपास का इलाकाएसुभाष नगरए त्रिवेणी रोडए शंकरगढ़ए नया कल्याण नगरए पुराना कल्याण नगरए मस्जिदवाली गलीए त्रिपो लया गेट रोड़ए गढकैलाशए मोतीनगरए संत नगरएखेतलपुरए ईश्वर नगर गली नम्बर-1ए2ए3 व 4ए राम रहीम नगर गली नम्बर-1 व 2एधीरजशाह नगर गली नम्बर 1ए2 व 3ए गोपाल नगर गली नम्बर 1 व 2ए बुध्देश्वर रोड़ए टाटा नगर गली नम्बर- 1ए2 व 3ए डी डी नगर सेक्टर एक से लेकर पांच तकए श्री नगरए ओसवाल नगरए बालाजी नगरए चुनपत बिल्डिगए गुलाबशाह वाली रोड़एनवीन कलेक्टर कार्यालयए एसपी कार्यालयए डीआरपी लाईनएमोचीयान पंचायतएशैरानीपुरा-1एकेर

बावड़ीएदानीपुराएधबाईजी का वासएबाह्मण गलीए सोमनाथ मंदिरएहाथीखाना रोड़एगांधी नगर पूर्वए गांधी नगर उत्तरए शव नगरए लक्ष्मणपुराए अजा बस्तीए सैलाना यार्डए रिटायर्ड कालोनीए जवाहर नगरए जनता कालोनीए वनोबा नगरए इंदिरा नगरए महेश नगरए अंबिका नगरए सलावटए गवली मोहल्लाएभाटो का वासए कुम्हार मोहल्लाए राजेन्द्र नगरए बरगुण्डों का वासए आबकारी चौराहाएश्रीकृष्ण ग्रुप मालीकुआएदानीपुराए हा कम वाड़ाए अंजता टाकीजए नाहरपुराए पुरोहितजी का वासए देवी संह कालोनीए शनिगलीए देवी सह गलीए हरिजन बस्तीए न्यू काजीपुराए खातीपुराए सहित नगर के सभी प्रमुख चौराहे सहित 150 से ज्यादा क्षेत्रों में रांगोली का निर्माण कराया गया है।

इनका रहा सहयोग

कोरोना काल में आमजन को वायरस से बचाने के तरीके समझाने के लए नगर निगम द्वारा रांगोली निर्माण के दौरान सफाई मत्र समूह के मार्गदर्शन में शहर की तमाम माता-बहनों और बच्चों रांगोली का निर्माण कर माँस्क का वतरण कया गया। इस महाअ भयान में महिला एवं बाल वकास वभाग की जिला कार्यक्रम अ धकारी श्री वनिता लोढ़ाए परियोजना अ धकारी चेतना गेहलोतए अर्चना माहोरएएक दर्जन से ज्यादा पर्यवेक्षणए समूह संचालक श्रीमती सो फया कुरेशीए श्रीकृष्ण समूहए मोहित सोनी सहित अनेक लोगों ने भरपूर सहयोग दिया।

सतत जारी रहेगा जागरुकता अ भयान

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इतिहास रचने वाले इस गति व ध को लेकर कहां क जुर्मानाए अस्थायी जेलए फटकार आदि तरीकों के माध्यम से लोगों को कोरोना गाईड लाईन का पालन करने की समझाईश दी जा रही है। इसी बीच नगर निगम ने गांधी गरी का यह तरीका अपनाया है। रांगोली लोगों में सकारात्मक भाव जगाते है। हम चाहते है क लोग इस भीषण कोराना काल मेें अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसे निभाए और अपने साथ ही दूसरों की भी जान बचाए।

निगम अ धकारी एवं कर्मचारी कोरोना का

दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 07 अप्रैल। नगर निगम के अ धकांश अ धकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लया है कन्तु कुछ अ धकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वं चत है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुर क्षत रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अ धकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अ धकारी एवं कर्मचारी जो क टीकाकरण में रू च नहीं दिखा रहे है उनके वरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड पर्यवेक्षकों की बैठक ली

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर-घर से कया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 07 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी कया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने 06 अप्रैल मंगलवार को वार्ड पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर कहा क नगर निगम के साथ-साथ नागरिकों का भी यह प्रयास है क स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नम्बर 1 बने इस हेतु कसी भी स्थिति में सड़कए नाले-ना लयांए रिक्त भूखण्ड आदि पर कचरा ना रहे। इसके अलावा नगर के प्रत्येक घरों से गीला व सूखा कचरा पृथक-

पृथक लया जाये साथ ही अपने-अपने वार्डो में सफाई के कार्य को ओर अ धक सुदृढ़ बनायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कोंए ग लयों एवं ना लयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोंए दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है। वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए

मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबं धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।
आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोंलकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मश्राए श्री एम.के. जैनए निगम स चव श्री जसवन्त जोशीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए अनवर कुरेशीए बी.एल. चौधरीए राजेश पाटीदारए वकास मरकामए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए सहायक वर्ग 3 श्री राजेन्द्र गेहलोतए श्री जितेन्द्र ससोदियाए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगायाए श्री अनिल पाराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मोनिका चौहानए जय उपाध्यायए तरूण राठौड़ आदि उपस्थित रहे।

भीड़ एकत्रित करने पर होटल बालाजी पर 5000 का जुर्माना

रतलाम 07 अप्रैल। न्यू रोड स्थित होटल बालाजी के संचालक द्वारा होटल में अत्या धक संख्या में भीड़ एकत्रित करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबं धत का 5000 का जुर्माना कया गया इसके अलावा पॉलीथीन का उपयोग करने पर मुजफ्फर बोहरा बाखल पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन कर 8 कलो पॉलीथीन जब्त की गई।
जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री

 वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबं धत

रतलाम 07 अप्रैल । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबं धत कया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अ धकारियों को निर्दे षत कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे षत कया क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबं धत कया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबं धत कया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करेंए प्लास्टिक व थर्मोकोल से नि र्मत कपए ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से नि र्मत बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से नि र्मत प्लेट एवं बाउलए म ी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लये करें इस हेतु प्रेरित कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डस्पोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही कये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

757 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 07 अप्रैल । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 07 अप्रैल तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 757 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 07 अप्रैल को का लका माता परिसरए शहर सरायए ईदगाह रोडए गोपाल गौशालाए दो बत्ती व टीआईटी रोड से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500द्ध वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले

मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 07 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि

समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 07 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 07 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत

मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 07 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग

मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/07ण्04ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.